P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-IV **Paper Name- Law of Evidence** **Unit -5**

Q1. निम्न पर टिपणियां लिखिए –

(i) सूचक प्रश्न

(ii)मूक साक्षी

(iii) पक्षद्रोही साक्षी

धारा 141. सूचक प्रश्न - कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना - चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है।

'सूचक प्रश्न'(Leading Question) — मुख्य परीक्षा अर्थात् साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार द्वारा प्रश्न करने का उद्देश्य यह होता है कि साक्षी स्वयं अपने मुँह से मामले के तथ्य वर्णित करे। सुसंगत तथ्यों के बारे में उससे प्रश्न पूछना चाहिए और फिर उसे अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। उसे उत्तर के बारे में कोई सुझाव नहीं देना चाहिये । प्रश्न ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि वह साथ ही साथ उत्तर का भी सुझाव दे । प्रश्न के अन्दर ही अन्दर छिपा हुआ उत्तर नहीं होना चाहिये। कोई भी ऐसे प्रश्न को जो साक्षी को उत्तर के बारे में भी सुझाव दे, "सूचक प्रश्न " कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों की अनुज्ञा होती तो मुख्य परीक्षा करने वाला वकील गवाह के मुँह से ऐसी कहानी गढ़वा लेता जो उसके कक्षीकार के माकूल हो। वह प्रश्न है जो गवाह को यह इशारा करता है कि उसका वही उत्तर होगा जो कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा वांछित है। किन्तु जब मात्र विषय का सुझाव दिया जाता है किन्तु उत्तर का सुझाव नहीं दिया जाता है तो वह सूचक प्रश्न नहीं है।

सूचक प्रश्न से अभिप्राय ऐसे प्रश्नों से है जो अपने आप में उत्तर सुझाते हों, अर्थात् ऐसे प्रश्न जिनसे उत्तर का अनुमान लग जाता है और साक्षी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका वही उत्तर दे जो उस प्रश्न में सुझाया गया है, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। इस प्रकार सूचक प्रश्न की परख यह है कि क्या वह अपेक्षित उत्तर का सुझाव देता है । 'सूचक प्रश्न' को 'उत्तराभासी प्रश्न' भी कहते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न जो विषय मात्र का सुझाव देते हों तथा जिनमें उत्तर का सुझाव नहीं हो, सूचक प्रश्न नहीं होते।

सूचक प्रश्नों के उदाहरण

(i) क्या तुम्हारा नाम रमेश है या क्या तुम्हारा 'अमुक' नाम नहीं है?

(ii) क्या तुम्हारा शिमला निवास स्थान है या क्या तुम्हारा 'अमुक' निवास स्थान -

(iii) क्या तुम 'अमुक' समय पर 'अमुक' स्थान पर थे या नहीं थे?

(iv) आप राम के यहाँ नौकरी करते हैं।

(v) क्या 'अमुक' व्यक्ति तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं था?

(vi) क्या दुर्घटना के समय आहत अथवा जख्मी हुई युवती काले रंग की साड़ी पहने हुई थी?

(vii) क्या एम० ए० की परीक्षा सन् 1994 में दी थी?

(viii) क्या क ने ख की दुकान से घड़ी चुराया?

(ix) क्या आपने क को ख की दुकान में घुसते और घड़ी लेते देखा? क

(x) क्या आप का राम नाम है?

(xi) क्या राम आपके पड़ोस में रहता है?

(xii) क्या राम घटना वाली रात गिरफ्तार थे और उनके हाथों में हथकड़ी डाले दो सिपाही खड़े थे?

सूचक प्रश्नों के प्रकार

(i) विवादित तथ्यों को मान लेने वाला प्रश्न (question assuming a controverted fact) प्रश्न सूचक प्रश्न है यदि प्रश्न किसी ऐसे तथ्य को मान लेता है जो विवादग्रस्त है जिससे उत्तरदाता प्रश्न स्वीकार कर ले जैसे - "वादी क्या कर रहा था जब प्रतिवादी ने उसे मारा? " यह विवादित था कि क्या प्रतिवादी ने मारा?"

ऐसे प्रश्न जो यह मान लेते हैं कि कोई तथ्य साबित है जबकि वास्तव में वह साबित नहीं है या जो किसी विशेष उत्तर का दिया जाना मान लेते हैं, उचित प्रश्न नहीं है और ऐसे प्रश्न पूछने की कभी इजाजत नहीं देना चाहिए।

प्रश्न जो धोखा देने वाला या बहकाने वाला (mislead) या न साबित तथ्य को मान लेने का उदाहरण- "कब आपने क की हत्या किया? प्रश्न उचित नहीं है क्योंकि प्रश्न हत्या करना मान लेता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ii) वैकल्पिक प्रश्न (Alternative question) – जैसे "अब बताइये कि आपने करा या नहीं कि आपने इन्कार कर दिया" या "आपने इन्कार कर दिया या नहीं कर दिया"? जिसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता क्योंकि दोनों सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर गवाह से उसके विकल्प के लिए पूछे गये हैं। ऐसे प्रश्न सूचक प्रश्न हैं या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह किसी उत्तर का सुझाव देता है या नहीं। क्या या नहीं के रूप में प्रश्न या विकल्प के रूप में प्रश्न अनावश्यक रूप से सूचक प्रश्न नहीं होता किन्तु उत्तर का सुझाव देने पर होता है। यदि प्रश्न ऐसे विषय का सुझाव दे तो सूचक प्रश्न नहीं है। प्रश्न सूचक है या नहीं प्रश्न के प्ररूप (form) के बजाय उसके सार (substance) को देखना चाहिए क्योंकि सूचक सापेक्ष शब्द है न कि आत्यंतिक शब्द है।

धारा 119. मूक साक्षी (Dumb witness)—वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ हैं, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेत द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जायेगा।

मूक साक्षी - धारा 119 कहती है कि यदि कोई गवाह बोलने में असमर्थ है तो वह अपना साक्ष्य अन्य रूप में दे सकता है जिस रूप में भी स्पष्ट हो जाय, जैसे- लिखकर, इशारों द्वारा या हाव-भाव प्रदर्शन द्वारा आदि। इसी तरीके से दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलायेगा। धारा 119 में यही बात कही गयी है। किन्तु इस प्रकार का लिखना या हाव-भाव का प्रदर्शन खुले न्यायालय में होना चाहिये। इस प्रकार का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जायेगा।

(1) जब किसी व्यक्ति ने चुप रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है तो वह बोलने में असमर्थ समझा जायेगा और उसका साक्ष्य लिखित रूप से लिया जायेगा और उसको बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
इसी प्रकार मरणासन्न स्त्री के चोट के बारे में किये गये प्रश्नों के संकेतों द्वारा दिये गये उत्तर और आक्रमणकारी का नाम कथन के रूप में ग्राह्य किये गये।

जब कोई गुंगा-बहरा व्यक्ति (deaf-mate) साक्षी है तो उसकी परीक्षा किये जाने के पूर्व न्यायालय यह अभिनिश्चित करेगा कि उसमें अपेक्षित मात्रा में बुद्धि (intelligence) है और यह कि वह शपथ को प्रकृति को समझता है। गूंगे-बहरे व्यक्ति का साक्ष्य (क) लिखित प्रश्नों द्वारा जिनका उत्तर वह लिख कर दे सकेगा, या (ख) संकेतों के द्वारा लिया जा सकता है।

जहाँ गूंगा हो जाने के कारण एक साक्षी अपना बयान देने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम हो गया था, अभिनिर्धारितः उसकी परीक्षा न किये जाने से अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था।33 जहाँ बलात्संग की शिकार अभियोक्त्री गूंगी थी, गूंगों के लिए राजकीय आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य का उसके अनुवादक के रूप में साक्ष्य विशेष ज्ञ साक्ष्य है और ऐसे अनुवादक को सहायता से उसके परिसाक्ष्य पर निर्भर किया जा सकता है

(2) जब गवाह इतना बहरा है कि वह सुन नहीं सकता है तो वह सक्षम गवाह नहीं है। कारण उससे प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है जिसका उत्तर वह न्यायालय में दे सके।

सिद्धांत – ऐसे गवाहों को "आवश्यकता" के आधार पर साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे गवाह अपने को स्पष्ट कर सकें।

पक्षद्रोही साक्षी (Hostile witness)

धारा 154. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न (1)] न्यायालय उस व्यक्ति को, जो - साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार (in its discretion) अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते है।

पक्षद्रोही साक्षी (Hostile witness) गवाह को बुलाने वाला पक्षकार, न्यायालय की आज्ञा से उस गवाह से सूचक प्रश्न पूछ सकता है और उसकी प्रतिपरीक्षा कर सकता है जब कोई गवाह न्यायालय की दृष्टि में प्रतिकूल है और वह गवाह बुलाने वाले पक्षकार के विरुद्ध अपना रुख रखता है तो वह पक्षद्रोही गवाह है। पक्षद्रोही शब्द का तात्पर्य इस अर्थ से समझना चाहिये कि जब गवाह बुलाने वाले पक्ष के खिलाफ गवाही देता है तो वह 'पक्षद्रोही साक्षी' है। वह मात्र इतने से ही पक्षद्रोही साक्षी नहीं मान लिया जायेगा कि उसका साक्ष्य बुलाने वाले पक्षकार के हित में नहीं है। पक्षद्रोही साक्षी वह है जो अपने साक्ष्य देने के ढंग से (जिसके अन्तर्गत यह तथ्य भी आता है कि वह पूर्वकथन से हट रहा है) यह जाहिर करता है कि वह न्यायालय को सच बताने का इच्छुक नहीं है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

धारा 154 किसी पक्षकार को अपने ही गवाह से, न्यायालय की आज्ञा से उसी प्रकार प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार देती है जैसे कि विपक्षी पक्षकार उससे करता है। ऐसी प्रतिपरीक्षा का अर्थ है कि उससे निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं

(1) सूचक प्रश्न (धारा 143),

(2) उसके पूर्ववर्ती लिपिबद्ध कथन के बारे में प्रश्न (धारा 145), और(3) (क) उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले प्रश्न (धारा 155),

(ख) यह पता चलाने के लिए कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, अथवा

(ग) उसके चरित्र को बदनाम करके कि वह विश्वास के योग्य नहीं है।

पक्षद्रोही साक्षी का परिसाक्ष्य कड़े तरीके से देख लेना चाहिए क्योंकि वह अपने खण्डन करता है। जो पक्षकार अपने साक्षी की प्रतिपरीक्षा करता है वह उसके साक्ष्य का उपयोग नहीं कर सकता ।

Q2. सह अपराधी कौन होता है? इस कथन की व्याख्या कीजिये की "सह अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि तात्विक विशिष्टियो में होनी चाहिए और एक सह अपराधी के साशय का प्रयोग दूसरे सह अपराधी के सास्य को सम्पुष्ट करने के लिए नहीं किया सकता है ।

धारा133 सह-अपराधी-सह-अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा; और कोई दोषसिद्धि (conviction) केवल 'इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

सह-अपराधी (Accomplice) की परिभाषा - "सह-अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है। 'सह-अपराधी' शब्द से अपराध में साथ-साथ दोषी होना विदित होता है। जहाँ पर गवाह यह मानता है कि वह प्रतिवादी के साथ आपराधिक कार्य कर रहा था तो वह सह-अपराधी है।" घूस लेना अपराध है और जो किसी लोक-अधिकारी को घूस देने का प्रस्ताव रखता है, वह सह अपराधी है।

सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो किसी अभियुक्त पर आरोपित वास्तविक अपराध के किए जाने में भाग लिए होता है। वह 'अपराध का भागीदार' (Participes Creminis) होता है। तथापि दो स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को सहअपराधी माना गया चाहे वह 'अपराध का चुराई हुई सम्पत्ति के प्राप्तकर्ताओं को चोरी के लिए विचारण के समय उन चोरों का सह-अपराधी माना गीदार' न हो। जाता है जिनसे उन्होंने उन्हें प्राप्त किया हो। कोई साक्षी जिसने अपराधियों की इस बात पर नजर रखने की सीमा तक सहायता की हो कि क्या पुलिस तो नहीं आ रही थी, सह-अपराधी की स्थिति में होता है ।

सामान्य तौर पर वही व्यक्ति सह-अपराधी है जिसने प्रश्नगत अपराध में सक्रिय योगदान किया हो। परन्तु अभिकर्ता (agents) जासूस गुप्तचर या प्रस्थापित व्यक्ति सह-अपराधी की कोटि में नहीं आता है। आर० के० डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दो श्रेणियां ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति सहभागी न होने पर सह-अपराधी हो जाता है।

1. ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी की सम्पत्ति यह जानते हुये प्राप्त की है कि वस्तु चोरी की है।
2. विचाराधीन अभियुक्त के साथ उसी प्रकार के पूर्ववर्ती अपराध में सहयोगी व्यक्ति।

धारा 133 में प्रतिपादित नियम एक सामान्य नियम मात्र है और यदि हम इसका अध्ययन धारा 114 के दृष्टान्त (ख) के साथ करते हैं तो हमें सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि की आवश्यकता प्रतीत होती है। न्यायालय का भी अब एक मत सा बन गया है कि सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि होना आवश्यक है। मात्र सह-अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किया जाना सुरक्षित नहीं है। अत: सह अपराधी के साक्ष्य को अत्यन्त सावधानी से ग्राह्य किया जाना चाहिए एवं उसकी तात्विक रूप से सम्पुष्टि की जानी चाहिए ।

सम्पुष्टि सावधानी का सिद्धान्त है (Corroboration as a rule of caution)

(i) सह-अपराधी की प्रवृत्ति सदैव अपने ऊपर से दोष हटाने की होती है। अतः अपने ऊपर की दोषिता को दूसरे पर लादने की दृष्टि से वह मिथ्या शपथ लेता है।

(ii) अपराध में एक सहयोगी होने के कारण इस बात की अधिसम्भावना रहती है कि वह शपथ की पवित्रता की अवहेलना कर सकता है तथा मिथ्या साक्ष्य भी दे सकता है। उसने अपने साक्षियों के साथ विश्वास भंग किया है और न्यायालय पर भी कपट कर सकता है।

(iii) अगर उसे सरकार ने क्षमा कर दिया है अर्थात् वह इकबाली साक्षी (approver) हो गया है तो इससे उसके द्वारा सरकार के पक्ष में बात करने की सम्भावना बन जाती है (pardon tendered to him) है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सामान्य मानव जाति की यह प्रकृति होती है कि जब वह किसी अपराध में फँस जाता है तो वह अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को अपराध में फँसाने का प्रयास करता है और अपने निम्न एवं अनैतिक चरित्र के कारण वह अपने साथियों के साथ विश्वासघात कर बैठता है तथा उन्हें संकट में डाल देता है। इन्हीं सब कारणों से सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

सह-अपराधी अपनी ही स्वीकृति पर अपराधी होता है, (Self confessed criminal) वह अत्यन्त नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, जिसने अपने पूर्व के मित्रों एवं साथियों के साथ केवल अपने बचाव के लिए दूंगा की है। अत: चाहे उसके साक्ष्य को शंका की दृष्टि से भी देखा जाय, उसको निर्णय का आधार बनाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

सम्पोषक साक्ष्य - उसकी प्रकृति (Nature and extent of corroboration) -
सह-अपराधी के कथन की विश्वसनीयता परखने के लिए निम्नांकित कसौटियाँ निर्धारित की गई हैं–
(i) क्या वह विश्वस्त साक्षी है और क्या उसके द्वारा दिया गया वर्णन सारतः विश्वसनीय है? और
(ii) यदि ऐसा है तो क्या उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध, अन्य प्रत्यक्ष अथवा पारिस्थितिक साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है कि नहीं?
यदि दोनों कसौटियों में से एक पर भी उसका साक्ष्य खरा नहीं उतरता तो उसके आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं करार दिया जा सकता; सह-अपराधी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को दो टेस्ट काम में लाने चाहिये
(i) क्या उसका कथन विश्वसनीय है?
(ii) उसके परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि तात्विक विशिष्टियों में, अन्य स्वतन्त्र साक्ष्य से होती है?विश्वसनीयता का टेस्ट वही है जो अन्य साक्षियों को लागू किया जाता है।

सह-अपराधी के साक्ष्य की मूल्यहीनता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं -
(1) सह-अपराधी अपने ऊपर से दोष हटाने के लिये मिथ्या रूप से भी कसम खा सकता है।
(2) सह-अपराधी अपराध में हिस्सेदार होता है, इस प्रकार वह स्वयं एक अनैतिक व्यक्ति होता है।
(3) वह साक्ष्य इसलिए देता है कि यदि वह बता देगा तो क्षमा कर दिया जायेगा। सह-अपराधी के साक्ष्य का अन्य स्वतन्त्र साक्ष्यों द्वारा सम्पुष्टि होना आवश्यक है। इस नियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने मदन मोहन बनाम स्टेट आफ पंजाब के वाद में भी किया है। इसकी पुष्टि शेशम्मा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी हुई है।

Q3. गवाहों की परीक्षा की परिभाषा कीजिये।सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते है और कब नहीं पूछे जा सकते है?

गवाहों की परीक्षा
धारा 135. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम- साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमश: सिविल और दण्ड प्रक्रिया के तत्सम सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनयमित होगा ।
साक्षियों की परीक्षा तथा उनके पेश करने के क्रम के विषय में (Order of production and examination of witnesses) — धारा 135 कहती है कि दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों में जिस प्रकार की विधि (law) और प्रक्रिया (practice) साक्ष्य लेने के लिये प्रचलित है, न्यायालय को उसी के अनुसार लेना चाहिये। किन्तु यदि ऐसी कोई विधि या प्रक्रिया नहीं है तो साक्ष्य न्यायालय के अपने विवेक के अनुसार लिया जायेगा।
(1) साक्षियों की परीक्षा करने का क्रम (The order of examination of witnesses) – यह विषय मुख्यतया उस न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है जिसके समक्ष वाद का परीक्षण (trial) होता है। प्रक्रिया के नियमित क्रम में वाद प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को सर्वप्रथम वाद-पद (issue) को समर्थन करने वाले समस्त साक्ष्यों को पेश करना चाहिये, फिर वादी के अभिकथनों (allegations) को इन्कार करने वाले पक्षकार को अपना सबूत पेश करना चाहिये। साक्षियों की परीक्षा करने के क्रम के अन्तर्गत दो चीजें हैं
(1) कौन पक्षकार सर्वप्रथम अपने साक्षियों की परीक्षा करे,
(2) किस क्रम से किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों की परीक्षा की जाये।
व्य० प्र० सं० का आ० 10 और दं० प्र० सं० का अध्याय 18, 20, 21, 22 और 28 साक्षियों की परीक्षा के ढंग को बताते हैं ।
दीवानी मामलों में वादी आमतौर से वाद शुरू करने का अधिकार रखता है। आपराधिक मामलों में अभियोजन या शिकायतकर्त्ता वाद शुरू करने का अधिकार रखता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

यद्यपि न्यायालय अपने विवेक के अनुसार साक्षियों के क्रम को नियन्त्रित करने का अधिकार रखता है, परन्तु वह इस प्रकार के क्रम में बहुत कम हस्तक्षेप करता है। मूल रूप से यह अधिवक्ता का अधिकार है कि वह अपने साक्षियों को किस क्रम में पेश करे। किसी पक्षकार के केस को बन्द कर देने के पश्चात् साक्ष्य ने का अधिकार नहीं है ।

(2) एक साक्षी के परीक्षा काल में अन्य साक्षियों का अपवर्जन-जब किसी पक्षकार का साक्ष्य शुरू हो जाता है तो अन्य साक्षियों को न्यायालय कक्ष के बाहर रखना चाहिये। उनको एक-एक करके बुलाकर परीक्षण करना चाहिये और जब एक साक्षी की परीक्षा हो रही हो तो बाद में परीक्षित किये जाने वाले साक्षियों को न्यायालय कक्ष में रहने की अनुमति नहीं देना चाहिये । यदि वह न्यायालय कक्ष में मौजूद - हो तो उससे कहना चाहिये कि वह बाहर जाये

यदि कोई साक्षी न्यायालय कक्ष में रहता है जबकि दूसरे साक्षी की परीक्षा हो रही है तो उसके परीक्षण को इन्कार नहीं किया जा सकता है। केवल एक नोट इस बात का लगा देना चाहिये कि वह उस समय न्यायालय | कक्ष में मौजूद था जबकि दूसरे साक्षी की परीक्षा हो रही थी ।

धारा 137. मुख्य परीक्षा (Examination-in-Chief) — किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलायेगी (shall be called) ।

प्रतिपरीक्षा (Cross-examination) – किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गयी परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी (shall be called) ।

पुन: परीक्षा (Re-examination) – किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसको उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलायेगी ।

धारा 143. उन्हें कब पूछा जा सकेगा? – सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे।

कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं –

(i) साधारणत: सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा एवं पुन: परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, किन्तु कुछ विषय में न्यायालय की आज्ञा से सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा और पुन: परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं (धारा 142) ।

(2) प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं (धारा 143) ।

(3) जो कोई गवाह पक्षद्रोही (Hostile) हो जाता है तब उसे बुलाने वाला पक्षकार न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकता है और इस प्रकार सूचक प्रश्नों को भी पूछ सकता है (धारा 154)।

(4) जब सूचक प्रश्नों का उद्देश्य दूसरे गवाह के द्वारा कहे गये कथनों का खण्डन करना है किन्तु वह उस कथन के करने से इन्कार करे तो उस गवाह से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(5) जब गवाह की कमजोर स्मरण शक्ति हो तो कुछ सूचक प्रश्नों द्वारा उसकी स्मरण शक्ति उत्तेजित की जा सकती है।

प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न नि:संकोच पूछे जा सकते हैं " सर्वप्रथम और मुख्य रूप से इस अनुमान के आधार पर कि (1) साक्षी का उस पक्षकार के पक्ष में झुकाव होता है जो उसे पेश करता है और अपने विरोधी का वह विरोधी होता है, (2) यह कि साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार अपने प्रतिपक्षी की तुलना में फायदे में होता है, क्योंकि वह पहले से जानता है कि साक्षी क्या साबित करेगा या कम से कम उससे क्या साबित करने की आशा की जाती है और यह कि इसके परिणामस्वरूप यदि उसे आगे चलने दिया जाये तो वह परिप्रश्न (interrogate) इस ढंग से कर सकता है

धारा 142. उन्हें कब नहीं पूछना चाहिये -सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुन:परीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिये।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW